

1/26 पक्ष 4/19 ला  
दिनांक 9 - 11 - 2026 को पेश हो

09-04-26 परामर्शी पेश हुई। वादी अधिवक्ता उषा  
प्रियाजी से ठा. 42 उपस्थित वादी  
अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र उद्भव  
अंतिम रिपोर्ट वि. वा. अ. नं. 42  
मुंबई की दिनांक 05-05-26 को  
वा. अ. नं. 42/2022 मुंबई  
वा. अ. नं. 42/2022 मुंबई  
183-188 वि. वा. अ. नं. 42/2022 मुंबई  
पेशी दिनांक 05-05-26 को

नरसीलाल भीलवाड़ा की प्रारम्भ  
रिपोर्ट की फा. नं. रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट  
अनुसार ग्राम कुम्हारपुरी की आराम नं.  
203 रकबा 0.7208 हे. भूमि में मॉरेप  
पक्षी उभर सड़क के आराम के अधिवक्ता  
भूमि पर रहने वाली मकान को ही  
स्थिति में किमान उल्लेख बनाया जाना  
संभव नहीं है। नरसीलाल भीलवाड़ा की  
रिपोर्ट अनुसार मॉरेप पर भूमि लूट न होकर  
अन्य उपयोग में आ रही हो गैर लूट प्रयोग  
उपयोग में आ रही भूमि वा किमान  
बिना जाना संभव नहीं है।

अतः, वादी की प्रार्थना पत्र दिनांक 05-05-26  
की वादी की मूल पत्र अन्तर्गत धारा 53-188  
R.A. 1955-रक्षण रिपोर्ट आना ही फा. अ. नं.  
कुम्हारपुरी होकर नरसीलाल से उठे।

09/05/26  
संवेदन अधिकारी  
मुंबई

द  
वादी  
वादीगण  
म  
नेमलिखित  
र कार्यवाही  
ने जारी की  
ताया गया,  
द्वारा जबरन  
द न्यायालय  
42/2022  
ति धारा 183  
पेशी नियत